(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 3065–एक/2016 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 20–07–2016 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 254/2014–15 अपील

1– महिला पार्वती पत्नि मानसिंह निवासी कामद
रोड इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया
2– महिला कलावती पत्नि रबिन्द्र निवासी
ग्वालियर तहसील व जिला ग्वालियर
3– महिला पूनम पत्नि मायाराम निवासी ग्राम
धनौश्रा तहसील दवोह जिला भिण्ड म0प्र0 ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– संतोष 2– शिवम पुत्रगण गयाप्रसाद
3– सचिन, नावालिक पुत्र गयाप्रसाद
सरपरस्त मॉ दीपा निवासी इन्दरगढ
तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया
4– महिला तेजा पत्नि स्व. बटटू
निवासी इन्दरगढ तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया
5– महिला शांति पत्नि हरदयाल निवासी ग्वालियर
रोड इन्दरगढ़ जिला दतिया ––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.घाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी )

आ दे श

(आज दिनांक 07 – 12 ––2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 254/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने तहसीलदार इन्दरगढ़ को आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि बट्टूलाल कुम्हार के नाम कस्वा इन्दरगढ़

में भूमि सर्वे क्रमांक 1057 रकबा 0-298 हैक्टर में हिस्सा 1/2, सर्वे क्रमांक 1154 रकबा 0-452 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 1524/1 रकबा 0-243 हैक्टर में बने हुये मकान का हिस्सा एंव कुछ खुले भाग का हिस्सा 1/3 (आगे जिसे वादग्रस्त संपत्ति अंकित किया गया है) था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु पूर्व उन्होंने बसीयत लिखवाई है इसलिये बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार इन्दरगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 37 अ-6/13-14 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 12-9-2014 पारित किया एंव बसीयत अप्रमाणित पाना मानकर उसके बैध वारिस महिला तेजा पत्नि बट्टू, गयादीन पुत्र एंव पुत्रियां बट्टू, पार्वती, शॉति, कलावती, पूनम का समान भाग पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 1/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-5-20015 से बटटूलाल की वादग्रस्त संपत्ति स्वअर्जित होना पाकर बसीयत दिनांक 24-4-14 के आधार पर बसीयतग्रहीता अनावेदक क्रमांक 1 से 3 का नामान्तरण स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 254/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-7-16 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ ने आदेश दिनांक 1-5-15 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 12-9-14 को इस आधार पर निरस्त किया है कि महिला तेजावाई पत्नि बट्टू पत्नि बट्टू आयु 70 वर्ष ने बतया है कि मेरे पति बटटू ने मेरे नातियों संतोष, शिवम, सचिन के नाम से बसीयत की है वह मेरी जानकारी में है। प्रश्नाधीन बसीयत की भूमि बट्टू प्रजापति की स्वअर्जित संपत्ति है। तहसीलदार इन्दरगढ़ के प्रकरण क्रमांक 37 अ-6/13-14 में बसीयत की छायाप्रति संलग्न है जिसका पद 2 इस प्रकार है -

मेरा एक पुत्र गयाप्रसाद है व चार पुत्रियॉ शॉति, पार्वती, कलाबती, पूनम है मैंने अपनी पुत्रियों का बिवह बडे धूमधाम से कर दिया है। उनके हिस्से से ज्यादा दान दहेज देकर खुशी खुशी बिदा किया हे वह अपने घर में सुखी संपन्न है मैं उन्हें अब अपनी चल व अचल संपत्ति में कुछ नहीं देना चाहता हूँ। उक्त संपत्ति मेरी स्वअर्जित संपत्ति है इसलिये मुझे बसीयत करने का पूर्ण अधिकार है।

स्वअर्जित संपत्ति की बसीयत एंव बसीयत के प्रमाणित पाये पर नामान्तरण करने पर रोक नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ ने आदेश दिनांक 1-5-20015 से बसीयत के आधार पर अनावेदक क-1 से 3 का नामान्तरण स्वीकार किया है एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा आदेश दिनांक 20-7-16 से पुष्टिकृत किया है । दोनों न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती होने से हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। नामान्तरण कार्यवाही केवल राजस्व अभिलेख को अद्यतन रखने की प्रक्रिया है । जहां तक वादग्रस्त संपत्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच मान. व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित रहने तथा मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सेवढ़ा के न्यायालय से प्र.क्र. 26 ए/2015 आदेश दिनांक 13-11-17 से निर्णीत होने एंव उसके विरूद्ध माननीय अपर जिला जज सेवढ़ा के न्यायालय में प्रचलित अपील का प्रश्न है ? माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है माननीय अपर जिला जज सेवढ़ा के न्यायालय से जो भी आदेश होगा - तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने के लिये राजस्व अधिकारी बाध्य हैं, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 254/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-7-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर